गांवों को पीने के पानी की सप्लाई के लिए धन का आबंटन

3359. **श्री नरेश सी० पुगलिया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पीने के पानी की कमी वाले गांवों में पेय जल की सप्लाई के लिये कितनी धन-राशि का आबंटन किया गया है;

(ख) 1987–88 के वर्ष के दौरान ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धन राशि प्रदान किए जाने का विचार है और 1986–87 के वर्ष की तुलना में इस धनराशि में कितनी वृद्धि की गई है और इस कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जा रही सहायता का अनुपात क्या है ; और

(ग) महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने, जहां इसकी हमेशा कमी रहती है, के लिये चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई और 1987–88 के वर्ष के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव): (क) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का एक विषय है जिसे राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किया गया है । राज्य सरकारें ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को तैयार करती हैं और उन्हें कार्यान्वित करती हैं। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है । सातवीं योजना में ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र के लिए 3454.47 करोड़ रुपये का परिव्यय है(राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 2253.25 करोड़ रुपये और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1201.22 करोड़ रुपये) । उन गांवों, जहां स्वच्छ पेय जल का कोई स्रोत नहीं है, को सातवीं योजना में प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाना है ।

(ख) यद्यपि, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए वर्ष 1987–88 हेतु परिव्यय को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, फिर भी, अनन्तिम आवंटन 334.60 करोड़ रुपये का है । 1986–87 के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु परिव्यय 312.67 करोड़ रुपये का है। अतः केन्द्रीय सहायता में अनन्तिम वृद्धि 21.93 करोड़ रुपये की है । सातवीं योजना क लिए, केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के परिव्यय और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के परिव्यय के बीच अनुपात 1:1.86 है ।

(ग) 1986–87 के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र हेतु 1934 लाख रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें से राज्य को पहली किश्त के रूप में 967 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए हैं । 1986–87 में ग्रामीण पेय जल की कमी की समस्या को हल करने के लिए सूखाराहत हेतु अब तक 3752.55 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की सिफारिश की गई है। 1987–88 हेतु त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को निधियों के राज्य-वार आवंटन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

राज्यों में भूमि का वितरण

3360. **श्री नरेश सी० पुगलिया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में अर्जित की गई भूमि और राज्यवार, भूमिहीनों को वितरित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव): अधिकतम सीमा से अधिक अर्जित की गई भूमि और भूमिहीनों में वितरित की गई भूमि का एक राज्यवार विवरण संलग्न है ।

विवरण

(एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	फालतू घोषित क्षेत्र	वितरित क्षेत्र
आन्ध्र प्रदेश	1092232	359397
असम	598415	380860
बिहार	326311	209723
गुजरात	238221	106793
हरियाणा	254052	105357
हिमाचल प्रदेश	284046	3340
जम्मू और कश्मीर	456000	450000
कर्नाटक	297788	114665
केरल	124152	60546
मध्य प्रदेश	301225	138115
महाराष्ट्र	687965	482764
मणिपुर	1652	1309
उड़ीसा	170203	140131
पंजाब	140007	99073
राजस्थान	608625	391822
तमिलनाडु	165316	122969
त्रिपुरा	2012	1560
उत्तर प्रदेश	504935	342177
पश्चिम बंगाल	1189039	820087
दादरा व नागर हवेली	8957	4584
दिल्ली	1151	310
पांडिचेरी	2301	922
कुल	7454605	4336512